न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला उज्जैन
अपील / 8039 - III - 15

मैक्सिमा ट्रेडर्स भोपाल प्रायवेट लि. (अनुज्ञप्तिधारी) (डायरेक्टर गंगादीन पटेल) विदेशी मदिरा दुकान वार्ड 28-29 इन्दौर गेट, वर्ष 1915-16, उज्जैन (म0प्र0)

-- अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन (म0प्र0)

-- प्रतिअपीलार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 17.11.15 को प्रस्तुत
17.11.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय कलेक्टर (आबकारी) जिला उज्जैन द्वारा पृष्ठाकन क्रमांक आब/अप/2015/2406 दिनाक 17.11.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियिम की धारा 62 (2)(सी) के अधीन अपील।</u>

Rec 17/11/15

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– अपील 8039–दो/15 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–11–15	अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । 2/ अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील सीधे इस न्यायालय में पेश की गई है जबकि आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील होना चाहिए । अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि आबकारी आयुक्त एवं अपर आबकारी आयुक्त आज उपलब्ध नहीं है अतः सीधे इस न्यायालय में अपील पेश की गई है । अपीलार्थी का उक्त तर्क विधिसम्मत नहीं है । अतः यह अपील इसी स्तर पर सुनवाई योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अपीलार्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आबकारी आयुक्त के समक्ष 30 दिवस में अपील पेश करें । आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में स्थगन पर सुनवाई कर निर्णय लिए जाने तक कलेक्टर के आदेश का कियान्वयन स्थगित रखा जाये । उक्त निर्देश के साथ यह अपील समाप्त की जाती है । सदस्य	